राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— एफ4(ई) (बी—83/94)अलेसे—III/8569 to 8576 दिनांकः— 22-08-2013

कार्यालय आदेश

इस निदेशालय के आदेश संख्या 176/2013—14 दिनांक 25.07.2013 के द्वारा श्री भागीरथ मल बेरवाल, क0लेखाकार (लिंक न0 4372) का स्थानान्तरण कार्यालय कोषालय, सीकर में किया गया था किन्तु श्री बेरवाल, क0लेखाकार द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश की आदिनांक तक पालना नहीं की गई है ।

अतः श्री भागीरथ मल बेरवाल, क0लेखाकार कार्यालय जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, सीकर को तुरन्त प्रभाव से निदेशालय स्तर से कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते है कि वे नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब इस विभाग में भिजवाये ।

निदेशक

क्रमांकः— एफ4(ई) (बी—83/94)अलेसे—III/8569 to 8576 दिनांकः— 22-08-2013

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि श्री भागीरथ मल बेरवाल,क0लेखाकार को कोषालय, सीकर में कार्यग्रहण करने हेतु तुरन्त कार्यमुक्त करें ।
2 कोषाधिकारी, सीकर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री भागीरथ मल बेरवाल,क0लेखाकार द्वारा आदेशों की पालना नहीं करने तक सुनिश्चित करे कि जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, सीकर के कार्मिकों के वेतन से संबंधित पीडीखाते के पारित किये जाने वाले चैक में श्री बेरवाल,क0लेखाकार का वेतन सम्मिलित नहीं हो ।
3 श्री भागीरथ मल बेरवाल, क0लेखाकार कार्या0 जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, सीकर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अविलम्ब उक्त आदेशों की पालना करके कार्यग्रहण रिपोर्ट अविलम्ब प्रेषित करे ।
4 निजी सहायक निदेशक कोष एवं लेखा ।
5 कम्प्यूटर शाखा/पदस्थापन सीट /निजी पत्रावली /रक्षित पंजिका ।

अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक—II}

ALLF111/B/00